

27/11/2018

ICDS/10040/09-2015 5174 दिनांक 08/11/2018

मो० तारिक, वि० प्र० सह-
सहायक निदेशक-सह-
प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना,
आई.सी.डी.एस. निदेशालय,
बिहार, पटना।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल,
पटना।

सेवा में,

विषय :-

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 11083/2018 (श्रीमती सुषमा कुमारी एवं अन्य बनाम, बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 18.07.2018 को पारित अंतरिम आदेश के संबंध में।

प्रसंग:-

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1570/स्था० दिनांक 13.10.2018 एवं अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुवर्ती पत्रांक 8010 दिनांक 24.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संबंध में कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 11083/2018 (श्रीमती सुषमा कुमारी एवं अन्य बनाम, बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 18.07.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में कतिपय बाल विकास परियोजना में पदस्थापित नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं का माह जून 2018 से किस आधार पर वेतन भुगतान किया जाय के संदर्भ में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

उक्त के आलोक में विदित हो कि पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1047 दिनांक 30.06.2018 से निदेशालय के पत्रांक 1818 दिनांक 03.05.2018 के आलोक में नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन संशोधन किया गया है।

उक्त के संदर्भ में निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन माह जून 2018 से संशोधित वेतनमान के आधार पर करने की कृपा किया जाय। राशि की वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के अंतिम आदेश पारित होने के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

(मो० तारिक)

सहायक निदेशक-सह-
प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना
आई.सी.डी.एस. निदेशालय

ज्ञापांक:- ICDS/10040/09-2015 5174 दिनांक 08/11/2018

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या 8010 दिनांक 24.10.2018 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक निदेशक-सह-
प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना

177

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक : स्था0 / XVII-01 / 2016 1921 (य) स्था0, दिनांक- 03-12 / 2018

प्रतिलिपि:- प्रमंडलान्तर्गत सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।